महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की 66वीं विशेष बैठक

दिनांक

24 जुलाई, 2021

स्थान

बृहस्पति भवन

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर ।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 66वीं विशेष बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

विद्या परिषद् की 66वीं विशेष बैठक दिनांक 24.07.2021 को दोपहर 2.00 बजे बृहस्पति भवन स्थित उपनिषद् कक्ष मे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः-

1.	श्री ओम थानवी, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो. भारती जैन, संयोजक-स्नातकोत्तर अध्ययन एवं विभागाध्यक्ष, खाद्य विज्ञान एवं पोषण	सदस्य
3.	प्रो. शिव प्रसाद, संकायाध्यक्ष-महाविद्यालय एवं विभागाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन	सदस्य
4.	प्रो. शिव दयाल सिंह, संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान एवं विभागाध्यक्ष-अर्थशास्त्र	सदस्य
5.	प्रो. मनोज कुमार, संकायाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन	सदस्य
6.	प्रो. सुब्रतो दत्ता, संकायाध्यक्ष-विज्ञान संकाय एवं विभागाध्यक्ष-रिमोट सेंसिंग एण्ड जियो-इन्फोरमेटिक्स	सदस्य
7.	डॉ. गीता शर्मा, संकायाध्यक्ष-ललित कला संकाय, राज. महाविद्यालय, किशनगढ़	सदस्य
8.	डॉ. विभा शर्मा, संकायाध्यक्ष-विधि संकाय, राजकीय विधि महाविद्यालय ।	सदस्य
9.	प्रो. नगेन्द्र सिंह, संकायाध्यक्ष-शिक्षा संकाय, क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, अजमेर	सदस्य
10.	प्रो. रीटा मेहरा, विभागाध्यक्ष, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र	सदस्य
11.	प्रो. नीरज भार्गव, विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साईंस	सदस्य
12.	प्रो. आशीष भट्नागर, विभागाध्यक्ष, सूक्ष्मजीव विज्ञान	सदस्य
13.	प्रो. प्रवीण माथुर, संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण एवं विभागाध्यक्ष, पर्यावरण विज्ञान	सदस्य
14.	प्रो. सुभाष चन्द्र, विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र	सदस्य
15.	डॉ. प्रतिभा यादव (प्रतिनिधि), आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर ।	सदस्य
16.	डॉ. सिस्टर पर्ल, प्राचार्य, सोफिया कॉलेज, अजमेर ।	सदस्य
17.	मोहम्मद ईदरिश खान, प्राचार्य, स्टार इन्फोटेक कॉलेज, देवली ।	सदस्य
18.	श्री शंकर लाल, प्राचार्य, राजकीय बी.आर. मिर्धा महाविद्यालय, नागौर ।	सदस्य
19.	कुलसचिव	सदस्य-सचिव

<u>बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हुएः-</u>

1.	डॉ. संजना शर्मा, संकायाध्यक्ष-कला संकाय,एस.पी.सी. राज. महाविद्यालय, अजमेर ।	सदस्य
2.	अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर ।	सदस्य
3.	प्रो. अरविन्द पारीक, विभागाध्यक्ष-वनस्पतिशास्त्र	सदस्य
4.	प्रो. बी.एल. वर्मा, विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय, उदयपुर ।	सदस्य

२६।७।२१

26.7.21

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद् के सभी सदस्यों का स्वागत किया । तत्पश्चात् कुलसचिव को विद्या परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

मद	विवरण	अनुभाग/ विभाग
मद सं0 1	विद्या परिषद् की 64वीं बैठक दिनांक 31 अगस्त, 2020 एवं 65वीं बैठक दिनांक 07 अप्रैल, 2021 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि/अनुपालना करना ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	**निम्न प्रेक्षण के साथ विद्या परिषद् की 64वीं एवं 65वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी:-** **1. "प्रो. भारती जैन, विभागाध्यक्ष, खाद्य विज्ञान एवं पोषण" को "प्रो. भारती जैन, संकायाध्यक्ष- स्नातकोत्तर अध्ययन एवं विभागाध्यक्ष-खाद्य विज्ञान एवं पोषण" पढ़ा जाय ।** **2. "प्रो. सुब्रतो दत्ता, विभागाध्यक्ष-रिमोट सेंसिंग एण्ड जियो-इन्फोरमेटिक्स" को "प्रो. सुब्रतो दत्ता, संकायाध्यक्ष-विज्ञान संकाय एवं विभागाध्यक्ष-रिमोट सेंसिंग एण्ड जियो-इन्फोरमेटिक्स" पढ़ा जाय ।**	
मद सं0 2	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के पत्र दिनांक 04.07.2021, जो कि परीक्षाओं से संबंधित है, पर विचार कर निर्णय करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-1)**	परीक्षा नियंत्रक
निर्णय	**विद्या परिषद् की 65वीं बैठक के निर्णय संख्या 01 में डॉ. मोहम्मद नईम, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त पत्र पर विचार करते हुए विश्वविद्यालय की सत्र 2020-21 की परीक्षाओं हेतु संलग्न "परिशिष्ट-अ" में अंकित परीक्षा स्कीम के अनुसार परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया गया था परन्तु सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के संबंध में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के पत्र दिनांक 04.07.2021 में प्राप्त संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार परीक्षाएं आयोजित कराने संबंधी पत्र प्राप्त हुआ । अतः विद्या परिषद् की 65वीं बैठक के निर्णय संख्या 01 में संलग्न "परिशिष्ट-अ" में अंकित विधि एवं शिक्षा संकाय से संबंधित पाठ्यक्रमों की परीक्षा स्कीम को यथावत रखते हुए शेष परीक्षा स्कीमों को निरस्त किया जाने का निर्णय लिया गया तथा शेष पाठ्यक्रमों की संलग्न "परिशिष्ट-अ" में अंकित दिशा-निर्देशों के अनुसार परीक्षाएं सम्पन्न कराने का निर्णय लिया गया ।**	

26/7/21

26.7.21

मद सं0 3	महाविद्यालयों को आवंटित स्वीकृत सीटों से अधिक पर महाविद्यालय द्वारा नियमित प्रवेश दिये जाने पर की जाने वाली कार्यवाही पर विचार कर निर्णय लेना एवं सम्बद्धता नियमों एवं प्रक्रिया को गति देने पर पुनर्विचार करना ।	शैक्षणिक-II
निर्णय	विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित/स्वीकृत सीटों की संख्या की निजी महाविद्यालयों को जानकारी होने के बावजूद निजी महाविद्यालयों ने उन्हें आवंटित सीटों से अधिक नियमित प्रवेश दे दिया, जिस पर विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए:- 1. आवंटित सीटों से अधिक प्रवेशित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षा 2020-21 के ऑनलाईन आवेदन की अनुमति नहीं देने के निर्णय को पुष्टि/सहमति दी। 2. महाविद्यालयों पर पैनल्टी (शास्ति) लगाने हेतु इस सन्दर्भ में पूर्व में की गई सभी अनुशंसाओं एवं पूर्व में लिए गए सभी निर्णयों को अतिक्रमित करते हुए निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित/स्वीकृत सीट संख्या से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश देने वाले सभी महाविद्यालयों पर कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए आवंटन से अधिक प्रति सीट पर राशि रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार रूपये) पैनल्टी को संबंधित महाविद्यालय द्वारा स्वयं की राशि से भुगतान करने पर ही उन विद्यार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करने की अनुमति दी जाए । उक्त पैनल्टी सभी संकायों (Faculties) के समस्त स्नातक (Graduate) व स्नातकोत्तर (Post-Graduate) पाठ्यक्रमों की सभी कक्षाओं (प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष तथा पूर्वार्द्ध व उत्तरार्द्ध) के लिए देय होगी । इसके पश्चात् ही अतिरिक्त विद्यार्थियों को नियमित विद्यार्थियों की तरह निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करके परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाए । पैनल्टी की सम्पूर्ण राशि महाविद्यालय, म.द.स. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई तिथि से पूर्व जमा करवाएगा और साथ में राशि रूपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा कि "जमा की गई वह राशि छात्रों से नहीं ली गई है तथा महाविद्यालय उसे स्वयं वहन कर रहा है और महाविद्यालय के पास अतिरिक्त प्रवेशित विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए समुचित संसाधन उपलब्ध थे।" महाविद्यालय द्वारा दण्ड की राशि जमा न करवाने की दशा में अतिरिक्त प्रवेशित विद्यार्थियों को नॉन-कॉलेजियेट (स्वयंपाठी) का परीक्षा शुल्क भरने के	

26.7.21

26/7/21

	पश्चात् नॉन-कॉलेजियेट (स्वयंपाठी) के रूप में परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है । 3. पैनल्टी का यह प्रावधान विद्यार्थियों के हित को देखते हुए केवल सत्र 2020-21 के लिए होगा; कोई महाविद्यालय अगर अगले वर्ष भी आवंटित सीटों से अधिक प्रवेश देने की प्रवृत्ति को दोहराता है तो उसकी सम्बद्धता तुरन्त प्रभाव से स्वतः निरस्त समझी जाए । गत वर्षो में किसी महाविद्यालय में आवंटित/स्वीकृत सीट संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश का यदि कोई विवादित मामला है तो शैक्षणिक अनुभाग-द्वितीय उक्तानुसार कार्रवाई करेगा । 4. सभी निजी महाविद्यालयों से स्टॉम्प पेपर (राशि रूपये 100/-) पर एक शपथ-पत्र लेने का निर्णय लिया गया कि "भविष्य में महाविद्यालय विश्वविद्यालय में स्वीकृत/आवंटित सीटों से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं देगा और यदि देता है तो उसकी सम्बद्धता निरस्त हुई समझी जाए।"	
मद सं0 4	कुलसचिव द्वारा सभी महाविद्यालयों को दिनांक 21.08.2020 को भेजे गये पत्र पर विचार कर इस संबंध में नीतिगत निर्णय लेना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-2)**	**शैक्षणिक-II**
निर्णय	कुलसचिव के उक्त पत्र में महाविद्यालयों को स्वीकृत सीटों से अधिक प्रवेश दिये जा चुके छात्रों के लिए आवेदन कर, निर्धारित राशि जमा करवाकर, सीट अभिवृद्धि की स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् निर्देशित किया गया था । किन्तु बैठक में सदस्यों के विचार-विमर्श में यह सामने आया कि विश्वविद्यालय नियमों में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है । अतः उक्त पत्र को प्रत्याहरित (Withdraw) किये जाने का निर्णय लिया गया । साथ ही उक्त पत्र पूर्व कुलपति डॉ. आर.पी.सिंह के प्रकरण से जुड़े होने के कारण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों को भेजे जाने का निर्णय लिया गया ।	

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

26.7.21
कुलपति

26/7/21
कुलसचिव

26/7

"परिशिष्ट–अ"

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 24.07.2021 के मद संख्या 02 की अनुशंषाएं

1. विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों, कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों का राज्य सरकार के संबंधित स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से अतिशीघ्र टीकाकरण सम्पन्न करवाए। संबद्ध महाविद्यालय के विद्यार्थियों/कर्मचारियों हेतु प्राचार्यों को निर्देशित कर अपने स्तर पर कोविड–19 टीकाकरण करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करवाने हेतु निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोन्नत कर परिणाम जारी करने तथा राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों से सूचना मंगवाकर सभी विश्वविद्यालय में एकरूपता रखते हुए स्नातक प्रथम वर्ष की अंकतालिका जारी करने का निर्णय लिया गया। स्नातक प्रथम वर्ष सैद्धान्तिक परीक्षा (ड्यू पेपर में) न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्रदान करने का निर्णय लिया गया। स्नातक प्रथम वर्ष के प्रोन्नत विद्यार्थियों को स्नातक द्वितीय वर्ष में प्रवेश देकर नियमित छात्रों की ऑनलाईन/ऑफइलाईन कक्षायें 26 जुलाई, 2021 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।

3. स्नातक द्वितीय वर्ष की विद्यार्थियों को अस्थायी प्रोन्नत कर तृतीय वर्ष नियमित छात्रों की ऑनलाईन/ऑफलाईन कक्षायें 26 जुलाई, 2021 से प्रारंभ करने व उनके द्वितीय वर्ष की परीक्षायें स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षायें समाप्त होने के पश्चात् करवाने का निर्णय लिया गया।

4. राज्य सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 04.07.2021 के अनुसार यूजीसी के दिशा निर्देश दिनांक 06.07.2020 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.08.2020 के अनुसार स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षायें अगस्त, 2021 के अंतिम सप्ताह में ऑफलाईन प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया।

5. स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध (वार्षिक पद्धति) के विद्यार्थियों को अस्थायी प्रोन्नत कर उनके ऑनलाईन/ऑफलाईन कक्षायें 26 जुलाई, 2021 से प्रारंभ करना एवं उनकी परीक्षायें स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध (वार्षिक पद्धति) परीक्षायें समाप्त होने के पश्चात् परीक्षायें करवाने का निर्णय लिया गया।

6. स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध (वार्षिक पद्धति) के विद्यार्थियों की परीक्षायें अगस्त/सितम्बर, 2021 में ऑफलाईन करवाने का निर्णय लिया गया।

7. जिन प्रश्न पत्रों में यूनिट/इकाई की बाध्यता है उन प्रश्न पत्रों में यूनिट/इकाई की बाध्यता को समाप्त कर परीक्षायें आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया।

8. परीक्षा की अवधि 3 घण्टे के स्थान पर प्रति प्रश्न की **1½** घण्टे समयावधि रखी जाएगी, साथ ही छात्रों को प्रश्न पत्रों में वर्णित प्रश्नों को अनुपातिक रूप से 50 प्रतिशत ही हल करने की सुविधा दी जाएगी। ऐसे प्रश्न पत्र जिनकी अवधि पूर्व में 2 घण्टे निर्धारित है (शिक्षा एवं विधि संकाय) उन छात्रों को सम्पूर्ण प्रश्न पत्र निर्धारित अंकों के अनुरूप हल करना होगा। स्नातक कला/वाणिज्य/विज्ञान संकाय जिसमें एक विषय में दो प्रश्न पत्रों (Two papers) का आयोजन होता है, के संदर्भ में परीक्षाओं के दोनों प्रश्न पत्रों (Two papers) की परीक्षा निर्धारित प्रक्रियान्तर्गत

एक ही पारी में (1½ +1½ =3 घण्टे की समायावधि में) आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार कला/विज्ञान/वाणिज्य संकाय के कुछ विषय के प्रश्न पत्र जिनकी संख्या दो से अधिक है उनकी परीक्षाओं का आयोजन दो प्रश्न पत्रों (प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र) का एक ही पारी में (1½ +1½ =3 घण्टे की समायावधि में) आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया, तथा शेष प्रश्न पत्र (तृतीय प्रश्न पत्र)की परीक्षा आगामी दिवस में डेढ़ घण्टे की समयावधि में करवाने का निर्णय लिया गया। एक पारी (1½ +1½ =3 घण्टे की समायावधि में) दो प्रश्न पत्रों के आयोजन में प्रश्न पत्र वितरण में लगने वाले समय की क्षतिपूर्ति बाबत् 05 मिनट का अतिरिक्त समय परीक्षार्थियों को दिया जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह सुनिश्चित करना कि प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तरपुस्तिका के संग्रहण के पश्चात् ही द्वितीय प्रश्न पत्र एवं उत्तरपुस्तिका वितरित की जाये। परीक्षार्थी द्वारा उक्त निर्धारित अंक सीमा से अधिक प्रश्नों को हल करने पर अतिरिक्त प्रश्नों के हल को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उत्तरपुस्तिका में हल किए गए सर्वोत्तम प्रश्नों को ही निर्धारित अंक सीमा तक स्वीकार किया जाएगा। परीक्षक द्वारा मूल्यांकित किए गए 50 प्रतिशत प्रश्नों के अंकों को 100 प्रतिशत में परिवर्तित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया जाने का निर्णय लिया गया।

<u>उदाहरणार्थ</u>

अधिकतम अंक सीमा	संशोधित 50 प्रतिशत अंक सीमा
100 अंक	50 अंक
80 अंक	40 अंक
50 अंक	25 अंक

9. विश्वविद्यालय के विभाग/महाविद्यालयों में सैमेस्टर परीक्षाओं प्रथम, तृतीय व पंचम सैमेस्टर की परीक्षा जो कि दिसम्बर, 2020 में आयोजित की जानी थी परन्तु सम्पूर्ण लॉकडाउन के कारण सम्पन्न नहीं हुई उनकी आंतरिक परीक्षा, विभाग/महाविद्यालय में संसाधनों के अनुसार ऑफलाईन/ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया। जिन सैमेस्टर में आंतरिक मूल्यांकन नहीं है (बॉटनी, जूलोजी, कैमेस्ट्री, गणित, फिजिक्स, जियोलॉजी)उन विषयों में 20 अंक के आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा, विभाग/महाविद्यालय द्वारा आयोजन करवाने का निर्णय लिया गया। उक्त परीक्षाओं के अंकों को विभाग/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय वैबसाईड पर अपलोड किया जाने का निर्णय लिया गया। उक्त कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षायें छात्रों द्वारा जमा करायी गयी फाईल/असाइनमेंट के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाहय परीक्षकों से मूल्यांकन कर अंक दिए जाने का निर्णय लिया गया।

10. विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षकों द्वारा छात्रों द्वारा महाविद्यालय में जमा करवायी गयी फाईल/असाइनमेंट के आधार पर प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवाना जिसमें कि विद्यार्थी का व्यक्तिगत उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। जिन सैमेस्टर की प्रायोगिक विषयों में केवल Presentation, Viva-voce & Seminar का आयोजन अनिवार्य होता है उन विषयों की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रणाली के माध्यम से संबंधित विभाग/महाविद्यालय द्वारा करवाए जाने का निर्णय लिया गया।

11. विधि पाठ्यक्रमों की परीक्षायें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पत्र दिनांक 10.06.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एवं मुख्य परीक्षा, 2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार करवाए जाने का निर्णय लिया गया।

12. बी.एड. (द्विवर्षीय), बी.ए/बीएससी बी.एड इंटीग्रेटेड (चार वर्षीय) की परीक्षायें ऑफलाईन मोड पर उनके एनसीटीई/राज्य सरकार की गाईडलाईन अनुसार एवं मुख्य परीक्षा, 2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार करवाए जाने का निर्णय लिया गया।

13. समस्त प्राचार्य अपने स्तर पर शिक्षण प्रशिक्षण पाठयक्रमों बी.ए/बीएससी बी.एड इंटीग्रेटेड (चार वर्षीय) एव बी.एड. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों हेतु इंटर्नशिप कार्यक्रम शिक्षा विभाग/निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के माध्यम से शीघ्र पूर्ण करवाए जाने का निर्णय लिया गया।

14. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एकवर्षीय डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स की 2021 की परीक्षायें करवाने का निर्णय लिया गया।

15. विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 11676–80 दिनांक 16.06.2021 के क्रम में केन्द्राधीक्षकों हेतु निर्देश (Form 24E) के अन्तर्गत जारी आदेश में प्रत्येक परीक्षा कक्ष के लिए 16 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक नियुक्त किया जावेगा तथा परीक्षा केन्द्रों में सेनेटाईजर के उपयोग हेतु व्यय रू.7/– प्रति परीक्षार्थी केन्द्र पर कुल पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या अनुसार एकमुश्त भुगतान देय होगा। उक्त आदेश परीक्षा, 2021 में भी लागू माने जाने का निर्णय लिया गया।

16. कोराना एडवायजरी के अनुसार छात्रों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के पास उपलब्ध संसाधनों/वीक्षकों की उपलब्धता एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते हुए परीक्षा केन्द्र निकटतम स्थल पर तथा अधिक संख्या में स्थापित कर एवं परीक्षा केन्द्रों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने का निर्देश दिये जाने का निर्णय लिया गया।

17. परीक्षा केन्द्रों पर कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना राज्य सरकार (गृह विभाग) द्वारा समय समय पर जारी एडवाजरी एवं समस्त दिशा निर्देशों की पालना यथा मास्क, सेनेटाइजर का उपयोग, सामाजिक दूरी एवं परीक्षा केन्द्र को सेनेटाइज करवाना आदि की पूर्ण पालना सुनिश्चित करना ताकि संक्रमण की विषमता को नियंत्रित करते हुए परीक्षाओं का सुचारू रूप से संचालन किये जाने का निर्णय लिया गया।

18. कोविड–19 से संक्रमित परीक्षार्थी यदि परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है तो उसकी परीक्षा परिस्थितियाँ अनुकूल होने पर अलग से विषय अवसर दिए जाने का निर्णय लिया गया।

19. प्रश्न पत्र के अंक स्कीम हेतु समस्त अधिष्ठाताओं की बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया।

....